

राजस्थान सरकार
 न्यायालय भूअभिलेख अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) बनेडा जिला - भीलवाडा
 (पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / कैम्प कोर्ट) कैम्प - 10.1.52

-: आदेश :-

प्रार्थी के खाता दुरस्ती' प्रार्थना पत्र एवं पटवारी 10.1.52 व भूअ.नि. 2.1.52 की रिपोर्ट तथा तहसीलदार बनेडा की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू- राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम कमालपुरा तहसील बनेडा जिला भीलवाडा की जमाबन्दी सम्वत् 2022-23 में खाता संख्या 138, 139 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जातें हैं:-

क्र. स.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है)
1	कमालपुरा	138	शुभचन्द्र डोगा पि० दौसमा शमलल शाधरी पुमानलसरी पि० शमलल देव पालि शमलल बल्लोड	शुभचन्द्र डोगा पि० दौसमा 2/3 शमलल शाधरी पुमानलसरी पि० शमलल देव पालि 1/2 बल्लोड
2	कमालपुरा	139	शुभचन्द्र डोगा पि० दौसमा शमलल शाधरी पुमानलसरी पि० शमलल देव पालि शमलल बल्लोड	शुभचन्द्र डोगा पि० दौसमा 2/3 शमलल शाधरी पुमानलसरी पि० शमलल देव पालि 1/2 शमलल बल्लोड

(स्तिमल रेगर)

पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / कैम्प कोर्ट
 भूअभिलेख अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी)
 बनेडा जिला - भीलवाडा

क्रमांक :- 393/18

दिनांक :- 16/5/18

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार बनेडा को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवाये ।
2. प्रार्थी श्री शुभचन्द्र डोगा पि० दौसमा बल्लोड को सूचनार्थ ।
3. रक्षित पत्रावली

(स्तिमल रेगर)

पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / कैम्प कोर्ट
 भूअभिलेख अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी)
 बनेडा जिला - भीलवाडा